



कोर्ट केस/समयबद्ध/तत्काल

स्मरण पत्र-4

प्रेषक:- निदेशक सैकेण्डरी शिक्षा हरियाणा
शिक्षा सदन, सैक्टर-5, पंचकूला
सेवा में,

1. District Education Officer- Ambala, Charkhi Dadri, Faridabad, Fatehabad, Gurugram, Jhajjar, Jind, Mahendergarh, Palwal, Panipat, Rewari, Rohtak, Sonapat and Yamuna Nagar (in the State).
2. Director SCERT Haryana, Gurugram.
3. Principal, DIET- Ambala, Faridabad, Kaithal, Karnal, Kurukshetra, Mahendergarh, Panchkula, Jhajjar, Fatehabad, Mewat (in the State).

यादी क्रमांक :10/4-2015 Admn.(4)
दिनांक, पंचकूला : 09.10.2018

विषय :- CWP No. 8086 of 2013-Indu Mehta V/s Union of India and Ors.-Inordinate delay in the settlement of fee bills of counsels.

उपरोक्त विषय पर इस निदेशालय के यादी क्रमांक :10/4-2015 Admn.(4) दिनांक 18.09.2018 के संदर्भ में।

विषयांकित मामले में आपको निदेशालय के स्मरण पत्र क्रमांक 10/4-2015 Admn.(4) dated 18.09.2018 के अन्तर्गत वांछित सूचना दिनांक 24.09.2018 तक हर अवस्था में इस निदेशालय की प्रशासन शाखा में उपलब्ध करवाने का अनुरोध किया गया था तांकि सूचना संकलित कर आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जा सके । परन्तु आपके कार्यालय से वांछित सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

इससे पहले आपको निदेशालय के यादी क्रमांक 10/4-2015 Admn.(4) dated 14-09-2018 द्वारा मांगी गई सूचना बाद दोपहर 3.00 बजे तक भेजने के लिए लिखा गया था।

इससे पहले भी आपको निदेशालय के यादी क्रमांक 10/4-2015 Admn.(4) dated 07-09-2018 के साथ Additional Chief Secretary to Government of Haryana, Administration of Justice Department से प्राप्त पत्र क्रमांक 2/23/2017-5 JJ(1) दिनांक 29-05-2018 तथा इस निदेशालय के पत्र क्रमांक 10/4-2015 दिनांक 11.06.2018 की छाया प्रतियां भेजते हुए अनुरोध किया गया था कि उक्त मामले में Status Report दिनांक 12.09.2018 तक हर अवस्था में इस निदेशालय की प्रशासन शाखा में उपलब्ध



करवाएं। लेकित आप द्वारा मांगी गई सूचना अभी तक उपलब्ध नहीं करवाई गई। जो कि बहुत बड़ी चूक है।

अतः आपसे पुनः अनुरोध है कि मांगी गई सूचना दिनांक 11.10.2018 तक हर अवस्था में इस निदेशालय की प्रशासन शाखा को ई मेल dseadm@gmail.com पर उपलब्ध करवाए तांकि सूचना संकलित कर आगामी आवश्यक कार्यावाही हेतु भेजी जा सके। अन्यथा दोषी अधिकारी/कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

कृप्या इसे अग्रता प्रदान करें।

अधीक्षक प्रशासन
कृते: निदेशक सैकेण्डरी शिक्षा
हरियाणा पंचकूला

पृष्ठांकन क्रमांक सम

दिनांक, पंचकूला 09.10.2018

इसकी प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ / आगामी आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजि सचिव/निदेशक सैकेण्डरी शिक्षा हरियाणा, पंचकूला।
2. निजि सहायक/निदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा पंचकूला।
3. निजि सहायक/ अतिरिक्त निदेशक प्रशासक।
4. निजि सहायक/संयुक्त निदेशक प्रशासन।
5. अधीक्षक प्रशासन, मौलिक शिक्षा से अनुरोध कि Additional Chief Secretary to Government of Haryana, Administration of Justice Department द्वारा अपने पत्र क्रमांक 2/23/2017-5 JJ(1) दिनांक 29-05-2018 द्वारा मांगी गई सूचना अपने स्तर पर संकलित कर भेजने का कष्ट करे।
6. निदेशालय सैकेण्डरी शिक्षा के सभी शाखा अधीक्षक (अधीक्षक एच0आर0जी0- I, एच0आर0जी0- II, तालमेल, सैकेण्डरी शिक्षा शाखा, पी0जी0टी0- I, पी0जी0टी0- II, पी0जी0टी0-IV, आंकडा, एच0आर0एम0ई0- I, एच0आर0एम0ई0- II, पेंशन- I, आर0टी0आई0, लीगल सैल, आरोही सैल, आडिट सैल, आई0टी0 सैल, अकैडेमिक सैल, लेखा) से अनुरोध है कि विषयांकित मामले में Status Report दिनांक 24.09.2018 तक हर अवस्था में प्रशासन शाखा में उपलब्ध करवाये तांकि सूचना संकलित करके आगामी आवश्यक कार्यावाही हेतु भेजी जा सके।
7. आई0टी0सैल मुख्यालय बैवसाईट पर अपलोड करने के लिए।

अधीक्षक प्रशासन
कृते: निदेशक सैकेण्डरी शिक्षा
हरियाणा पंचकूला